(92)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल (म0प्र0).

प्रकरण क्रमांक : /2015 निगरानी. Reg/3346/I/15

श्रीमती खेमाबाई आयु 48 साल पत्नि
श्री मोतीसिंह कुर्मी निवासी ग्राम भैंसवाया
तहसील कुरवाई जिला विदिशा (म0प्र0).
--- निगरानीकर्ता

- ब ना म -

(1) कल्याणसिंह आयु 50 साल पुत्र श्री बिहारीलाल काछी निवासी ग्राम भैंसवाया तहसील कुरवाई जिला विदिशा (म0प्र0).
--- प्रतिप्रार्थी/अनावेदक

(2) मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय, विदिशा (म0प्र0) -- प्रतिप्रार्थी/अनावेदक

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 13-06-2015 राजस्व निरीक्षक कुरवाई जिला विदिशा, प्रकरण क्रमांक 52/अ-12/14-15 वसागले कल्याणसिंह -बनाम- म0प्र0शासन.

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी सादर सविनय निम्न प्रस्तुत है :-

1- यह कि, निगरानीकर्ता के स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम हरसूद खेड़ा पटवारी हल्का नंबर-53 तहसील कुरवाई जिला विदिशा में सर्वे क्रमांक 9/1 रकबा 0.627 हेक्टेयरकृषि भूमि अन्य भूमियों के साथ स्थित है, जिस पर निगरानीकर्ता हर साल फसल प्राप्त करती चली आ रही है ।

2- यह कि, निगरानीकर्ता के स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि से ही लगकर प्रतिप्रार्थीक्रमांक-एक/आवेदक के सर्वे क्रमांक 9/2 रकबा 1.891 हेक्टेयर लगा हुआ है जिसके सीमांकन हेतु प्रतिप्रार्थी क्रमांक-एक/आवेदक ने न्यायालय तहसीलदार महोदय कुरवाई जिला विदिशा के समक्ष

//2//

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग भोपाल

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3346–एक/15 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10.8.16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, कुरवाई जिला विदिशा द्वारा प्र0क0 52/अ–12/14–15 में पारित आदेश दिनांक 13–6–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 कल्याणसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम हरसूदखेड़ी की भूमि खसरा नं. 9/2 रकबा 1.891 हैक्टर के सीमांकन किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर राजस्व निरीक्षक ने पटवारी को सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिये अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही कर पटवारी ने सीमांकन कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । उक्त सीमांकन प्रतिवेदन की पुष्टि राजस्व निरीक्षक द्वारा 13.6.15 द्वारा की । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराते हुए कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन की कार्यवाही सरहदी काश्तकारों को सूचना दिए बिना की गई है । यह भी कहा गया कि सीमांकन कार्यवाही विधिवत गढ़े हुये स्थाई मुनारों से जरीब डालकर की जाती है परंतु पटवारी ने चांदा, चीरा न होने के बाद भी सीमांकन विधि विरूद्ध कहा गया है ।	

निग० 3346-I/15 (निरस्त)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4— अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।	
	5— उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण सीमांकन का है । अभिलेख में जो पंचनामा है उसमें यह लेख है कि सीमांकन की कार्यवाही मेडिया काश्तकार आवेदिका खेमाबाई के पुत्र वकीलसिंह एवं ग्राम कोटवार तथा उपस्थित ग्राम वासियों की उपस्थिति में की गई है । जो सूचनापत्र है उसमें भी आवेदिका के पुत्र वकीलसिंह के हस्ताक्षर में है । ऐसी स्थिति में यह आवेदिका की ओर से दिया गया यह तर्क कि सरहदी काश्तकारों की अनुपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही हुई है, अभिलेख के विपरीत है । दर्शित परिस्थिति में आलोच्य आदेश की पुष्टि की जाती है एवं पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है ।	
	उभयपक्ष सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों ।	
	सदस्य	